अध्याय VI

सामान्य छूट अधिसूचना का गलत अनुप्रयोग

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (I) के अंतर्गत सरकार को या तो पूर्ण रूप से या अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के अनुसार उस पर आरोप्य सीमाशुल्क का पूर्ण या शुल्क के किसी भी भाग से कोई भी निर्धारित विवरण के माल पर छूट देने की शक्ति है। नोटिस की गई छूट (अक्टूबर 2013 से जनवरी 2015) के गलत मंजूरी के कारण कुल ₹ 1.52 करोड़ के शुल्क की गैर-उगाही/कम उगाही के कुछ दृष्टांत उदाहरणों की निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

अपेक्षित जाँच रिपोर्ट के बिना सीवीडी की गलत छूट

6.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दर अनुसूची (6309 00 000 और 6310 को छोड़कर) के अध्याय 61,62 और 63 के अंतर्गत आने वाले दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 7/2012-सीई के संदर्भ में, जैसा कि दिनांक 1 मार्च 2013 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, "कॉटन का सब माल जिसमें कोई भी अन्य कपड़ा नहीं मिला है" यथामूल्य 12 प्रतिशत की शुल्क दर की बजाय यथामूल्य 6 प्रतिशत की रियायती दर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) आकर्षित करता है।

दिनांक 15 मार्च 2004 के परिपत्र संख्या 23/2004-सी.शु. के माध्यम से सीबीईसी ने निर्देश जारी किए कि मामले जहां 25 प्रतिशत नमूने वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत कपड़ा समिति प्रयोगशाला को खतरनाक रंगो की जांच हेतु भेजे जाने अपेक्षित हैं, संयोजन के लिए जांच दोहरेपन से बचने के लिए कपड़ा समिति प्रयोगशाला पर भी की जानी चाहिये। तथापि डीजीएफटी अधिसूचना के अनुसार जहां खतरनाक रंगो की कोई जांच अपेक्षित नहीं है, संयोजन की जांच केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला(सीआरसीएल)-आंतरिक जांच प्रयोगशाला पर की जानी चाहिये।

1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए पैट्रोपोल भूमि सीमाशुल्क स्टेशन(एलसीएस) के माध्यम से तैयार वस्त्र के आयात की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वस्त्र जो कॉटन से बने हुये घोषित किए

गये थे नमूने के 25 प्रतिशत को आहरण के बिना 12 प्रतिशत की शुल्क दर की बजाय 6 प्रतिशत रियायती सीवीडी दर पर मूल्यांकन के लाभ और माल का संयोजन सुनिश्चित करने के लिये उसकी जांच की नियमित रूप से अनुमति दी। इसके बजाय आयातकों द्वारा बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सटाइल से संयुक्त एजो रंग के साथ संयोजन जाँच रिपोर्ट सीवीडी की रियायती दर के लाभ की अनुमति देने के लिये निर्भर थी। तथापि, बीयूटी, ढाका न तो सीबीईसी और न ही डीजीएफटी द्वारा, कपड़ा संयोजन जांच की स्वीकृति के लिये जांच एजेंसी के रूप में अनुमोदित था। तद्दनुसार, अपेक्षित जांच रिपोर्ट के बिना 42 नमूना जांच आयात में ₹ 41.75 लाख की सीवीडी छूट देना अनियमित था।

इस ओर ध्यान दिलाने (मार्च 2014) पर, सीमाशुल्क विभाग ने विरोध किया (फरवरी 2015) कि बीयूटी, ढाका का पूर्व-शिपमेंट प्रमाणपत्र स्वीकार करने योग्य था चूंकि वह उक्त प्रमाणपत्र जारी करने के लिये अधिकृत संस्था थी। क्योंकि बांग्लादेश के गणतंत्र निवासी के लिये उप उच्चायोग ने सीमाशुल्क विभाग को सूचित किया कि बीयूटी, ढाका एजो और खतरनाक रंगों के संबंध में प्रमाणपत्र जारी करने के लिये बांग्लादेश सरकार द्वारा प्राधिकृत था।

विभाग को बताया गया (अप्रैल 2015) कि उनका उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योकि पूर्व-शिपमेंट प्रमाणपत्र, आयातित कपड़े और कपड़े की वस्तुओं में खतरनाक रंग न होना सुनिश्चित करने के लिये और न कि संयोजन के लिये अर्थात कपड़ा/नॉन-टेक्सटराइज़ड या कॉटन के अतिरिक्त कोई वस्तु, के लिये वाणिज्यिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय(मार्च 2004) द्वारा जारी निर्देश और आयात नीर्ति की शर्तों के अनुसार अपेक्षित था। लेकिन उपरोक्त उल्लिखित निर्देशों में से किसी में भी, एमओसी/एमओएफ ने इन पूर्व–शिपमेंट प्रमाणपत्रों में कपड़ा वस्तु संयोजन का स्वीकार करने के निर्देश नहीं दिये थे।

लेखापरीक्षा आयातित सामग्री में खतरनाक रंगों की मौजूदगी के बारे में मुद्दे को चिन्हित नहीं कर रही हैं बल्कि कपड़े की वस्तु के संयोजन की जांच के बिना शुल्क की रियायती दर पर आयातित कपड़े की निकासी अर्थात "कि क्या कॉटन के अतिरिक्ति कोई कपड़े वस्त्र सामग्री शामिल है या नहीं" जिसके लिये

बीयूटी का पूर्व-शिपमेंट प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं है। आयातित कपड़ा/कपड़े की वस्तु के संयोजन के लिये जांच कपड़े के वस्तु की सामग्री निश्चित करने के लिये या तो आंतरिक केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल) में या वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत कपड़ा समिति प्रयोगशाला में की जानी चाहिए।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में सूचित किया कि समान मामलों की पुनरीक्षा के बाद ₹ 1.14 करोड़ की राशि के विभेदक शुल्क के लिए संबंधित आयातकों को एससीएनस जारी किए गए थे जिसके लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर ₹ 41.75 लाख की राशि शामिल थी।

मूल सीमाशुल्क की गलत छूट

6.2 'प्रोजेक्टर' जो पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से स्वचालित डाटा प्रसंस्करण प्रणाली में प्रयोग किये जाते हैं, सीमाशुल्क शीर्ष (सीटीएच) 85286100 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं। जबकि अन्य प्रोजेक्टर जो स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीनों के साथ-साथ टेलीविज़न और वीडियों के साथ भी कार्य करने में सक्षम हैं सीटीएच 85286900 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं।

मैसर्स एमआइआरसी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने, एसीसी, मुंबई के माध्यम से विभिन्न मॉडलों के 'प्रोजेक्टर' के आठ परेषण भेजे। यह माल सीटीएच 85286100 के अंतर्गत वर्गीकृत किये गए थे और दिनांक 1, मार्च 2005 की अधिसूचना संख्या 24/2005-सीयूएस के क्रम संख्या 17 के अंतर्गत शुल्क रियायती दर पर निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने उत्पाद सूची से देखा कि 'प्रोजेक्टर' के आयातित मॉडलों में विडियो इनपुट और संयुक्त विडियो इनपुट प्रावधान थे और इसलिए स्वचालित प्रसंस्करण प्रणाली के साथ-साथ टेलीविजन और विडियो के साथ प्रयोग किया जा सकता था। तद्नुसार आयातित माल सीटीएच 85286900 के अंतर्गत वर्गीकृत करने योग्य और 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगाये जाने योग्य हैं। इस प्रकार, पूर्वोक्त छूट अधिसूचना का लाभ देने और गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 40.85 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

इसे बताए जाने पर (जुलाई 2015) आपत्ति को स्वीकार न करतेहुए मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2015) कि आयातक द्वारा प्रस्तुत किए गए केटालोग के अनुसार आयातित प्रोजेक्टर मोडल्स (112आई, 114आई एसटी) के पास एस विडियों इनपुट नहीं था। तथापि, राजस्व ब्याज को बचाने के लिए एक मांग एवं लेख प्रभार नोटिस आयातको को जारी किया गया है। उनके उत्तर के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आपूर्तिकार की वेबसाइट www.infocus.com/ projetors/IN114 or IN112 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि इन प्रोजेक्टरस के पास एस-विडियों कनेक्शन्स है।

6.3 एसी प्रकार, मैसर्स पीआईडी प्राइवेट लिमिटेड और चार अन्य ने एसीसी, मुंबई के माध्यम से विभिन्न मॉडलों के 'प्रोजेक्टर' के सात परेषण आयात किये(मार्च से जून 2013)। यह माल सीटीएच 85286100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और दिनांक 1 मार्च 2005 की अधिसूचना संख्या 24/2005-सीयूएस की क्रम संख्या 17 के अंतर्गत शुल्क की रियायती दर पर निर्धारित किया गया था।

उत्पाद सूची से लेखापरीक्षा ने देखा कि 'प्रोजेक्टर' का आयातित मॉडल में विडियो इनपुट और कंपोजिट विडियो इनपुट का प्रावधान था और इसलिये स्वचालित प्रसंस्करण प्रणाली के साथ-साथ टेलिविजन और विडियो के साथ प्रयोग किया जा सकता था। तदनुसार आयातित माल सीटीएच 85286900 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य और 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगाये जाने योग्य था। इस प्रकार पूर्वोक्त छूट अधिसूचना का लाभ देने और गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹14.66 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

विभाग/मंत्रालय को अप्रैल 2014/जुलाई 2015 में इस बारे में बताया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2016)।

लोहे या गैर धातु इस्पात की पहले से रंगी हुई कॉयल के लिए छूट

6.4 "लोहे और गैर धातु इस्पात के फ्लैट रोल्ड उत्पाद" उसकी विशेषताओं के अनुसार अध्याय 72 के अंतर्गत वार्गीकरणीय हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक

17 मार्च 2012 (संशोधित अनुसार) की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीयूएस की क्रम संख्या 334 के अनुसार सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 7210 के अंतर्गत आने वाले अतिरिक्त और दोषपूर्ण के अलावा सभी माल पर बीसीडी 7.5 प्रतिशत की दर पर वसूली योग्य है। यद्यपि, अध्याय 72 के अंतर्गत आने वाले अतिरिक्त और दोषपूर्ण माल 10 प्रतिशत की दर पर वसूली योग्य हैं।

मैसर्स गर्ग सेल्स कॉरपोरेशन ने आईसीडी, तुलनकाबाद के माध्यम से "कॉयल में एमएस पहले से रंगा हुआ/कॉयल में एमएस दोषपूर्ण पहले से रंगा हुआ" के 14 माल आयातित किए (मई से जुलाई 2014)। माल को सीटीएच 72109090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और पूर्वोक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 330 का लाभ देने के बाद 5 प्रतिशत की दर पर रियायती दर बीसीडी के लिए निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला की पूर्वोक्त माल पूर्वोक्त क्रम संख्या 330 के अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं है, बल्कि अतिरिक्त और दोषपूर्ण के अलावा अधिसूचना की क्रम संख्या 334 के अंतर्गत निहित है और 7.5 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लिए जाने योग्य है। इस प्रकार, अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के परिणामस्वरूप ₹28.03लाख की शुल्क राशि की कम वसूली हुई।

यह विभाग/मंत्रालय को अगस्त 2014/जुलाई 2015 में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

शर्तों को पूर्ण किए बिना विशेष अतिरिक्त शुल्क की वापसी

6.5 अनुवर्ती बिक्री के लिए भारत में आयातित माल पर सीमाशुल्क दर अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा (5) के अंतर्गत 4 प्रतिशत की दर पर एकत्रित अतिरिक्त सीमाशुल्क दिनांक 14 सितंबर 2007 की अधिसूचना संख्या 102/2007-सी.शु. की शर्तों के पालन के अंतर्गत आयातक को वापस किया जा सकता है। अधिसूचना की शर्त 2(बी) निर्धारित करती है कि एसएडी की वापसी केवल तभी होगा जब आयातक, आयातित माल की बिक्री के लिए बीजक जारी करते समय बीजक में विशेष रूप से दर्शाये की इसमें निहित माल के सबंध में, सीमाशुल्क दर अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-

धारा(5) के अंतर्गत वसूल किए गए अतिरिक्त सीमाशुल्क का कोई भी क्रेडिट स्वीकार्य नहीं होगा।

इस शर्त का पालन सुनिश्चित करने के लिये आयातकों को पूर्वोक्त अधिसूचना की शर्त 2(ई) के अनुसार बिक्री बीजक की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तथापि, कागजी कार्यवाही को न्यूनतम करने के लिए आयातकों द्वारा अभिवेदन पर दिनांक 13 अक्तूबर 2008 के परिपत्र संख्या 16/2008-सी.शु. के माध्यम से सीबीईसी ने इलैक्ट्रॉनिक रूप से (सीडी के फार्म सहित) बिक्री बीजक की प्रति स्वीकार करने का निर्णय लिया बशर्ते आवेदक लिखित रूप से मीडिया में मौजूद बीजक संख्या दर्शाये और अपनी सत्यता की पुष्टि करे।

मैसर्स ए.एम. केबल्स प्राइवेट लिमिटेड और चार अन्य आयातकों को उनके आयातित माल जिसे बाद में भारत में बेचने का दावा किया गया था, पर दिये गये एसएडी की वापसी के रूप में कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी द्वारा ₹13.96 लाख (अगस्त 2012 से मई 2014) अनुमोदित किये गये थे। इन सभी मामलों में, केवल एक को छोड़कर, आवेदक ने अपने आयातित माल की बिक्री के साक्ष्य के रूप में सीडी के रूप में इलैक्ट्रॉनिक रूप से बिक्री बीजक की प्रति प्रस्तुत की थी। तथापि, इन सभी मामलों के बिक्री बीजक की समीक्षा से पता चला कि आयातित माल के खरीददार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत इनमें से किसी भी बिक्री बीजक पर सेनवेट क्रेडिट न लगाने का सबूत नहीं था, जैसाकि दिनांक 14 सितम्बर 2007 की अधिसूचना की शर्त 2(बी) के अंतर्गत अपेक्षित है। वापसी के यह दावे दिनांक 14 सितम्बर 2007 की अधिसूचना की निर्धारित शर्त पूर्ण नहीं करते, तदनुसार ₹ 13.96 लाख की एसएडी वापसी की मंजूरी अनियमित थी।

यह बताने पर (अक्तूबर 2013, जनवरी 2014/जनवरी 2015) विभाग ने दो आयातकों (मैसर्स ए.एम.केबल्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सलेक्ट मार्किटिंग ओवरसीज इंटरप्राइज) से ₹ 3.51 लाख की वसूली के बारे में बताया (दिसम्बर 2014)। अन्य तीन आयातकों के संबंध में विभाग ने विरोध किया (जून 2015) कि अपने उत्तर में आयातकों ने बिक्री बीजक की सॉफ्टकॉपी पर अपेक्षित सबूत शामिल करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की चूंकि बिक्री

बीजक की सॉफ्ट कॉपी पर स्वत: घोषणा करने का विकल्प नहीं था, जिसके लिये बीजक के साथ संलग्न अपेक्षित सबूत सहित आयातक के लेटर हेड पर स्वत: घोषणा अधिसूचना की शर्तों की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा स्वीकृत थी।

विभाग को सूचित किया गया (जून 2015) कि आयातकों का तर्क कि अपेक्षित सबूत बिक्री बीजक की सॉफ्टकॉपी में संभव नहीं है, उचित नहीं था क्योंकि समान सबूत अन्य प्रतिदाय दावों के संबंध में प्रस्तुत बिक्री बीजक की साफ्टकॉपी में पाये गये थे। इसके अलावा, बिक्री बीजक के साथ अपने लेटर हेड पर आयातकों द्वारा अलग से स्वत: घोषणा/सबूत दिनांक 14 सितम्बर 2007 की पूर्वोक्त अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के अनुसार उक्त सबूत की आवश्यकता के पीछे के इरादे को पूर्ण नहीं करता, चूंकि यह खरीददार को ऐसे खरीद बीजकों पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेने से नहीं रोक सकता जिसके परिणामस्वरूप दो बार प्रतिदाय हो सकता है।

मामलों को सितम्बर 2015 में मंत्रालय को बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

'तिपहिया वाहन, स्कूटर, पेडल कार और समान पहियेदार खिलौने और उसके पुर्जों के लिये छूट

6.6 'तिपहिया वाहन, स्कूटर, पेडल कार और समान पहियेदार खिलौने वाली गुडिया' आदि सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 9503 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं और 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी निर्धारणीय है।

मैसर्स नेशनल इंपेक्स ने आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से 'बच्चे की बाइक/स्कूटर कार, तिपहिया खिलौने' आयात किये (जुलाई 2013 से मार्च 2014)। आयातित माल सीटीएच 95030090 के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये थे और दिनांक 22 जुलाई 2005 की अधिसचूना संख्या 72/2005 (भाग क की क्रम संख्या 427) के अंतर्गत 43 प्रतिशत की दर रियायत सहित 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि पूर्वोक्त, अधिसूचना के भाग 'क' की क्रम संख्या 427 के लाभ 'तिपहिया,स्कूटर, पेडल कार और समान पहियेदार खिलौने, गुड़िया, गाड़ी के औंजार और पुर्जों' के अलावा माल पर मिलता है। तथापि, वर्तमान मामले में आयातित माल बच्चों की तिपहिया साइकिल /बच्चों के खिलौने, कार/स्कूटर आदि और बच्चों के चलाने के लिये प्रयोग होने वाले पहियेदार खिलौने थे और इस प्रकार सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 72/2005 के भाग 'क' की क्रम संख्या 427 के लाभ के लिये पात्र नहीं था। इसलिए अधिसूचना लाभ के गलत मंजूरी के परिणामस्वरूप ₹ 12.49 लाख की शुल्क राशि की कम उगाही हुई।

इसे बताए जाने पर (जुलाई 2015), मंत्रालय ने आयातक को मांग एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया गया सूचित किया (दिसम्बर 2015)।